Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 57/2023

Amir Hamza Ouddusi ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा आपूर्त्ति अपील वाद सं0–05/2013 में दिनांक–04.07.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-15917/2017 में दिनांक–16.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि आवेदक प्रखंड–किशनगंज, पंचायत–दौला अंतर्गत जनवितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं0–23K/2007 के वैध धारक थे। दिनांक–03.09.2013 को अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा इनके दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें कई प्रकार की अनियमितता पाते हुए इनसे दिनांक–14.09.2013 को स्पष्टीकरण की माँग की गई। निरीक्षण के समय इनके भाई संजूर आलम उपस्थित थे जिसमें 87 बोरा गेहूँ तथा 134 बोरा चावल पुराना भंडारित पाया गया। उनके द्वारा अंत्योदय, बी0पी0एल0 एवं किरासन तेल की भंडार पंजी प्रस्तुत की गई जिसमें 05 बोरा चावल अतिरिक्त तथा किरासन तेल का भंडारण अन्यत्र पाया गया। इसके पूर्व दिनांक–23.08.2013 को प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, किशनगंज के निरीक्षण क्रम में दुकान बंद पाया गया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा कम मात्रा में खाद्यान्न देने तथा अधिक मूल्य प्राप्त करने की शिकायत की गई। आवेदक ने दिनांक–01.10.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए सभी आरोपों से इंकार किया है। निरीक्षण के दिन ये आधार कार्ड बनवाने गये थे। हवा में सूचना पट पलट गया था। चावल के बोरे में 47–49 Kg ही आता है। जगह के आभाव में किरासन तेल अन्यत्र भंडारित था। विभाग द्वारा जून 2012–13 से मई 2013–14 तक ही कूपन की आपूर्त्ति की गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध निम्न न्यायालय में दायर अपील भी अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं	

Web Copy, Not Official.

		विधि विरूद्ध है। उक्त दुकान इनकी जीविका का आधार थी। 10 वर्षों से अनुज्ञप्ति रद्द होने की सजा इन्हें मिल चुकी है। ये अपने परिवार में अकेले कमाऊ व्यक्ति हैं। आवेदक वर्ष 1973 से जनवितरण प्रणाली विक्रेता है जिनके क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। ग्रामीण राजनीति के तहत् इन्हें फँसाया गया है। इनके द्वारा कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस प्रकार इनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज तथा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पोठिया, किशनगंज को कई स्मार के बावजूद प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा मात्र निम्न न्यायालय अभिलेख प्राप्त है। आवेदक के सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक के जनवितरण प्रणाली दुकान के निरीक्षण में कुल 13 (तेरह) अनियमिततायें प्रतिवेदित है, जिसमें खाद्यान्न एवं किरासन तेल इत्यादि का भंडारण एवं वितरण में अनियमितता, उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्राओं से कम खाद्यान्न देना एवं अधिक मूल्य प्राप्त करना, प्रायः दुकान बंद पाया जाना, आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन किया जाना जैसे गंभीर आरोपों के संबंध में इनकी ओर से कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत आदेश पारित किया गया है, जो सही है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy : Not Official.

Web Copy. Not Official.